FISHERIES DEPARTMENT

The 6th December, 1995

CONFIDENTIAL

No. 8803-AH-6-95/14611.—The Governor of Haryana is pleased to declare the result of the following officers of the Fisheries Department, who appeared in the examination of the Accounts, held in August, 1995, as indicated against each:—

Sr. No.	Name and Designation	Remarks
	S/Shri—	
1	Anil Kumar, Fisheries Officer, Fatehabad (Hissar)	Pass
2	Rajinder Singh Sangwan, Fisheries Development Officer, Kaithal	Pass (with credit)
3	Vijay Kumar Sharma, E. Chief Executive Officer, Fish Farmers Development Agency, Yamuna Nagar	Fail
4	Shabbir Ahmad, Fisheries Officer, Palwal	Pass (with credit)

R. S. VARMA,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Fisheries Department.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 10 नवम्बर, 1995

क्रमांक 2782-ज-2-95/17045.—श्री रूप चन्द, पुत्र श्री जीत राम, निवासी गांव मापड़ोदा, तहसील झज्जर, (अब बहादुरगढ़), जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16516-ज.-III-66/19219, दिनांक 17 सितम्बर, 1966 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक [illegible]-आर-III-70/29605, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री रूप चन्द की दिनांक 7 जून, 1994 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री रूप चन्द की विधवा श्रीमती राजी के नाम रबी, 1994 से 1,050 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 2538-ज-2-95/170[illegible]9.—श्री उमेद सिंह, पुत्र श्री रामनारायण, निवासी गांव [illegible] तहसील सोनीपत (अब खारखोदा), जिला सोनीपत, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 572-ज-II-78/13042, दिनांक 8 मई, 1978 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।]

2. अब श्री उमेद सिंह उर्फ मेदू की दिनांक 30 जून, 1991 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री उमेद सिंह उर्फ मेदू की विधवा श्रीमती ज्ञानों के नाम रबी, 1992 से खरीफ 1992 तक 300 रुपये वार्षिक तथा रबी 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।